राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग
सातवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नयी दिल्ली.

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की मैचिंग स्कीम (2010–11) के अन्तर्गत प्रकाशकों, लेखकों, फर्मों से हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू तथा पंजाबी भाषा/साहित्य एवं अन्य विषयों की पुस्तकें चयन/खरीद हेतु निम्नलिखित शर्तों पर आमंत्रित की जाती हैं।

1- पुस्तकें निम्नानुसार दिनांक 20 दिस्म्बर 2010 से 20 जनवरी 2011 तक प्रातः 10.00बजे से 5.00बजे के बीच कार्य दिवसों में जमा कराई जा सकती हैः–
हिन्दी भाषा एवं साहित्यः– हिन्दी अकादमी, डी0डी0ए0 समुदाय भवन, पदम नगर, किशन गंज, दिल्ली, दूरभाष **संख्या 23690274, 23693118**
उर्दू भाषा एवं साहित्यः– उर्दू अकादमी, सी0पी0 ओ0 बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली, दूरभाष संख्या 23863858,23863566, 23865436, 23863697
पंजाबी भाषा एवं साहित्यः– पंजाबी अकादमी, सदर थाना रोड़, पहाड़ गंज, नई दिल्ली, दूरभाषा **संख्या : 23615979, 23615965**
अंग्रेजी भाषा/साहित्य एवं अन्य सभी विषयों व सरकारी प्रकाशनः– कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,सातवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली, दूरभाष **संख्याः 23392348 (सीधा संर्पक) 23392001–4 (एक्सटेंशन संख्या 3719, 3718)**

2. पुस्तकें निःशुल्क भेजें तथा संस्करण वर्ष एवं मूल्य प्रिन्ट पेज/अन्दरूनी टाइटल पेज पर मुद्रित होना चाहिए। केवल जिल्द या डस्ट कवर पर मुद्रित मूल्य वाली पुस्तकें रद्द कर दी जायेंगी।

3- पुरानी पुस्तक को नये नाम देकर या प्रकाशन वर्ष एवं मूल्य परिवर्तन करके जमा की गई पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. पुस्तक का टाइटल पेज पुस्तक के साथ मूलतः लगा हुआ होना चाहिए। पुराना फाड़कर नया लगाने पर पुस्तकें अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

5. केवल वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 में प्रकाशित पुस्तकें ही भेजें, रिप्रिन्टस न भेंजे। पुस्तकें निम्न प्रकार से जमा एवं चयन की जायेंगी।

प्रकाशन	जमा की जाने वाली पुस्तकों की संख्या	चयन की जाने वाली पुस्तकों की संख्या
प्राइवेट प्रकाशन	15	10
सरकारी प्रकाशन	50	25
अन्य	30	15

6- चयन के लिये जमा कराई जाने वाली पुस्तकें सामाजिक, न्याय, भारतीय जन–जीवन के मूल्यों, कम्प्यूटर साइंस, व्यवसायिक शिक्षा, विज्ञान, चिल्ड्रेन बुक्स, देश–भक्ति, सामान्य ज्ञान, जनसंख्या, शिक्षा, पर्यावरण, प्रौढ़ शिक्षा, जीवनियां, भाषा साहित्य कला व संस्कृति तथा संदर्भ पुस्तकें इत्यादि विषयों से संबंधित हों।

7. पुस्तकों की एक प्रति वाहक अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपने व्यय पर भेजें। रेलवे/ट्रांसपोर्ट रसीद स्वीकार नहीं होगी।

8- पुस्तकों का उत्पादन स्तर, मुद्रण, कागज आदि उच्च कोटि का होना चाहिए तथा प्रेषित पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर उस पुस्तक का नाम मुद्रित हो।

9- चयन पश्चात् पुस्तकों की सप्लाई संबंधित प्रकाशक/फर्म/लेखक द्वारा बिल की दो प्रतियों सहित संबंधित अकादमियों/विभाग में जमा करानी होंगी और पुस्तकों के बिल का भुगतान राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता द्वारा सीधे प्रकाशक/फर्म/लेखक को किया जायेगा।

10. पिछली बार क्रय की गई पुस्तकें इस वर्ष जमा न कराई जायें अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

11- आई.एस.बी.एन. नम्बर पुस्तक के अन्दरूनी टाइटल पेज पर अवश्य अंकित होना चाहिए।

12. पुस्तकों पर डिस्काउंट राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मान्य होगा।

विशेष कथनः–

1. उपरोक्त शर्तों का पालन पूर्णतः/अंशतः न करने पर जमा कराई गई पुस्तकों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. अंग्रेजी, पंजाबी तथा उर्दू की पुस्तकें सीमित ही खरीदी जायेंगी।
3. पुस्तक चयन समिति को चयन के लिये जमा कराई गई पुस्तकों को चयन करने या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा । स्वीकृत अथवा अस्वीकृत पुस्तकों के विषय में अनावश्यक पूछताछ/पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुस्तकों के चयन/क्रय के संबंध में राज्य पुस्तकालय समिति (एस0एल0सी) का निर्णय अंतिम आबध्कर एवं सर्वमान्य होगा। इसके बारे में कोई प्रार्थना/सिफारिश/शिकायत इत्यादि स्वीकार नहीं की जायेगी।